

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला – बड़वानी (म.प्र.)**

**आप.प्रक.क्रमांक 579 / 2014  
संस्थित दिनांक-26.08.2014**

म.प्र. राज्य द्वारा—  
आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बड़वानी

**—अभियोगी**

**वि रु द्ध**

मयाराम पिता शोभाराम धनगर,  
उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम धनोरा,  
थाना अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

**—अभियुक्त**

---

राज्य तर्फे एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी ।  
अभियुक्त तर्फे अभिभाषक — श्री विशाल कर्मा ।

---

**—: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 29 / 11 / 2016 को घोषित)**

- 1— थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 167 / 2014 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 01.08.2014 को दिन के लगभग 2:50 बजे ग्राम केरवा आम रोड़ पर वाहन टेम्पों क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 में नग 2 बैलों को मारपीट कर कूरतापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर उनका परिवहन वध करने के आशय से अंतर्राज्य परिवहन करने तथा उक्त टेम्पों क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 को बिना बीमा किये हुए चलाने के लिये पशु कूरता निवारण अधिनियम 1860 की धारा 11(1)(डी) एम.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 4,6 सहपठित धारा 9 तथा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 146, 196 का आरोप है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.2014 को फरियादी सुरेन्द्र वर्मा ने थाना ठीकरी में अभियुक्त को एक टेम्पों क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 और 2 बैलों को लेकर जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसे सूचना मिली थी कि ग्राम अमाली धामनोद तरफ से एक टेम्पों क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 में उसका चालक बैलों को वध हेतु मुँह व पैर बांधकर कूरतापूर्वक भरकर लेकर जा रहा है तो उसने अपने दोस्त प्रवीण, निलेश, अटल को सूचना बताई तथा उन्हें साथ लेकर अमाली रोड़ पहुंचा सामने से उसे टेम्पों क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक करने पर दो बैल मुँह और पैर बांधकर कूरतापूर्वक भरे हुए देखा, चालक का नाम पुछने पर नाम मयारामा पिता शोभाराम धनगर, निवासी ग्राम धनोरा थाना अंजड़ का होना बताया और बैलों को वध करने हेतु महाराष्ट्र तरफ वध करने हेतु ले जाना बताया। अतः वह साक्षी प्रवीण के साथ अभियुक्त को टेम्पों और बैलों सहित थाने पर लेकर आया तथा अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज करायी व अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त बैल व टेम्पों जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा जप्त बैलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उन्हें अंतरिम सुपुर्दगी में वृन्दावन गौशाला भगवानपुरा के सुपुर्द किया गया

तथा बैलो व टेम्पों को राजसात करने के लिये पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से कलेक्टर बड़वानी को पत्र भेजा, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— उक्त अनुसार अभियुक्त पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860 की धारा 11(1)(डी) एम.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 4,6 सहपठित धारा 9 तथा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 146, 196 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक लेख किया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है, अभियुक्त ने बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया, किन्तु किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

5— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.08.2014 को दिन के 1:50 बजे ग्राम केरवा आम रोड पर वाहन टेम्पो क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 में 2 बैलों को क्रूरतापूर्वक मुँह और पैर बांधकर परिवहन किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गोवंश के 2 बैलों को वध करने के प्रयोजन से अथवा यह ज्ञान रखते हुए कि उनका वध किया जायेगा उक्त टेम्पो क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 में राज्य के बाहर परिवहन किया ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त टेम्पो क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 को बिना बीमा किये हुए लोक मार्ग पर चलाया ?

#### विचारणीय प्रश्न 1,2,3 पर सकारण निष्कर्ष —

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में सुरेन्द्र वर्मा (अ.सा.2) का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को जानता है, घटना लगभग ढेड वर्ष पूर्व की है, घटना वाले दिन उसे सूचना मिली थी कि गोवंश परिवहन होकर महाराष्ट्र की ओर वध हे जा रहे हैं, तब उसने अपने साक्षी प्रवीण, अटल एवं निलेश को फोन पर सूचना दी थी कि ग्राम अभाली-केरवा मार्ग पर वाहन निकलने वाला है, उन्होंने उक्त वाहन का इंतजार किया फिर छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 आया जिसमें 2 बैल सफेद रंग के थे उनके मुँह और पैर बंधे हुए थे जो वाहन के अंदर भरे हुए थे उन्होंने उक्त वाहन को रोककर वाहन के चालक से नाम पूछा तब उसने अपना नाम मयाराम बताया और उक्त चालक से बैलों को लेकर जाने वाले स्थान के बारे में पूछने पर उसने बताया कि वह बैलों को उसके गांव धनोरा लेकर जा रहा है तब उसने ग्राम धनोरा में परिचितों को फोन लगाकर पूछा तो परिचितों ने बताया था कि अभियुक्त बैलों को लेकर धनोरा नहीं आ रहा है तथा प्रत्येक गुरुवार को बैल लेकर महाराष्ट्र जाता है, साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त से सख्त लहजे में बात की तो उसने बताया कि वह बैलों को पहले राजपुर छोड़ता है उसके पश्चात बाद वहां से महाराष्ट्र काटने के लिये जाते हैं, तब वे लोग अभियुक्त, टेम्पों और बैलों को साथ लेकर थाना ठीकरी गये जहां उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट दर्ज करायी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने अभियुक्त से थाना ठीकरी पर उक्त टेम्पो और 2 बैलों को प्रदर्श पी 2 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

7— बचाव साक्ष्य की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह खेत का काम बैल और ट्रैक्टर दोनों से करता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके गांव में और भी कृषक हैं जो खेती करते हैं, उसके पास लगभग 2 बजे फोन आया था, उस समय वह ग्राम केरवा में विवाह में आया हुआ था, उसे वही पर

सूचना मिली थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह विश्व हिन्दू परिषद का प्रखण्ड मंत्री है और ठीकरी में भी विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता है, साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि पूरे भारत में विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता हैं तथा ठीकरी के संगठन कुछ कार्यकर्ताओं के फोन नम्बर उसके पास है। साक्षी ने यह पूछे जाने पर कि किसी अपराध की सूचना मिलने पर पहले पुलिस थाने पर सूचना देना चाहिए ? साक्षी ने यह उत्तर दिया कि यदि किसी अपराध की सूचना मिलने पर वह पहले उसकी जाँच करता है कि सूचना सही है अथवा नहीं उसके बाद पुलिस थाने को सूचित करता है, साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके पास थाने के फोन नम्बर नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि एक एकड़ में कृषि करने के लिये 2 बैलों की आवश्यकता होती है, जिसमें अलग-अलग कृषि कार्य करने हेतु 2 बैल एवं एक ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है।

8— साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने निलेश राठौड़ एवं अन्य कार्यकर्ता प्रवीण एवं अटल को ग्राम केरवा से ही फोन टेम्पो आने के पहले लगाया था, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि राजपुर जाने के लिये छोटा रास्ता ठीकरी, बरुफाटक व जुलवानिया से होकर जाता है या नहीं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि ग्राम सुन्देल में प्रति गुरुवार बाजार लगता है जहां आसपास के कृषक अच्छी किश्म के बैल क्रय एवं विक्रय करने आते हैं, लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि बैल बाजार में बैलों के क्रय विक्रय की रसीद दी जाती है या नहीं। यह भी स्वीकार किया है कि विश्व हिन्दू परिषद की बैठक प्रत्येक माह में होती है तथा घटना के लगभग एक वर्ष पूर्व से वह विश्व हिन्दू परिषद में प्रखण्ड मंत्री के पद पर है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी बैठक में उन्हें यह बताया जाता है कि महाराष्ट्र वध हेतु बैल ले जाये जाते हैं, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उनकी उक्त बैठक में यह बताया जाता है कि यदि कोई भी अपराध उनके सामने हो रहा है तो सूचना थाने पर देना चाहिए या उक्त अपराध को स्वयं रोक सकते हो तो थाने पर सूचना देने के बाद पुलिस के आने तक समझाकर रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

9— साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर पुलिस आई थी तब वह पुलिस के साथ वाहन, बैल तथा अभियुक्त को लकर गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर 5 से 10 व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे। साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया है कि इसे घटना के पूर्व उसने बैल परिवहन के संबंध में थाने पर सूचना दी थी या कोई प्रकरण दर्ज कराया था अथवा नहीं। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि घटना में प्रयुक्त वाहन की तरह कई वाहन घटना स्थल से निकले थे। साक्षी ने उसके वाहन मोटरसायकल का नम्बर पूछा गया है जो कि प्रकरण के तथ्यों से सुसंगत नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि संघ की मीटिंग में कार्यकर्ताओं द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा होती है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि अपराधों को रोकने के कार्यों की समीक्षा नहीं होती है, कार्यकर्ताओं को जो कार्य दिया जाता है उनकी समीक्षा होती है। साक्षी ने इस सूझाव से भी स्पष्ट इंकार किया है कि उन्हें संगठन द्वारा बैलों का अवैध परिवहन करने से रोकने का कार्य दिया जाता है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि बैलों के दोनों पैर और मुँह बांधकर लाया जा रहा था तथा उनकी शारीरिक दशा बहुत खराब हो गई थी और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ऐसी स्थिति में वह कृषि कार्य के योग्य नहीं थे।

10— साक्षी ने यह याद होने से इंकार किया है कि बैलों को चोटें लगी थी या नहीं, साक्षी ने यह याद होने से भी इंकार किया है कि पुलिस ने बैलों की रस्सी जप्त की थी या नहीं, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उन लोगों ने बैलों के मुँह और पैर खोल दिये थे तथा पुलिस को बुलाया था, इसलिये वह नहीं कह सकता कि पुलिस ने रस्सी जप्त की थी या नहीं, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने उसके सामने टेम्पो, बैल एवं वाहन के दस्तावेज जप्त किये थे तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, (उक्त कथन भी बचाव पक्ष की ओर से स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है)। साक्षी ने स्वीकार किया है

कि वह ठीकरी से महाराष्ट्र गया था, ठीकरी से महाराष्ट्र राज्य की दूरी कितनी है वह नहीं बता सकता है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सेंधवा से आगे महाराष्ट्र लग जाता है। साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि महाराष्ट्र में बैलों को काटने के लिए कारखाने कहा है। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को उक्त बैल कृषि करने के लिये ले जा रहे थे, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि टेम्पों वाले ने बताया था कि काटने के लिये ले जा रहे हैं। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सूझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि वह अभियुक्त द्वारा बैलों को काटने के लिये परिवहन करना असत्य रूप से बता रहा है अथवा अभियुक्त ने उसे कृषि करने के लिये बैल लाना बताया था। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसे बैलों को खरीदने की रसीदें बताई थी जो उसने फाड़ दी थी।

11— निलेश राठौड (अ.सा.1), प्रवीण पाटीदार (अ.सा.3) तथा अटल वाजपेयी (अ.सा.6) ने भी अभियुक्त को पहचानने और लगभग 2 वर्ष पूर्व सुरेन्द्र वर्मा द्वारा उन्हें फोन पर टेम्पों में बैलों को वध करने के आशय से महाराष्ट्र परिवहन करने की सूचना दिये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि सुरेन्द्र वर्मा ने उन्हें ए.बी. रोड हाईवे पर बुलाया था तब वह वहा गये थे और टेम्पों को रोककर उसकी जाँच करने पर टेम्पो में 2 बैल मुँह और पैर बांधकर भरे हुए थे तथा उक्त टेम्पो को अभियुक्त चला रहा था। साक्षियों का यह भी कथन है कि अभियुक्त ने उनके द्वारा पूछने पर टेम्पो में भरे हुए गोवंश को महाराष्ट्र की ओर वध हेतु ले जाना बताया था तब वे लोग अभियुक्त, टेम्पो में भरे गोवंश को थाना ठीकरी लेकर गये थे जहां पर सुरेन्द्र वर्मा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

12— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में निलेश राठौड (अ.सा.1) तथा प्रवीण पाटीदार (अ.सा.2) ने स्वीकार किया है कि वह बजरंग दज व विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता हैं और उनकी बैठकों में यह बताया जाता है कि म.प्र. राज्य से बैल काटने के लिये महाराष्ट्र जाते हैं, जिन्हे रोकना होता है। उक्त साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि सुन्देल में गुरुवार को बैल बाजार लगता है। साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र राज्य में कौन से गांव में बैलों को ले जा रहे थे उसे नहीं बताया था। साक्षियों ने बैलों की जप्ती और अभियुक्त की गिरफ्तारी घटना स्थल पर करना बताया है। उक्त साक्षियों से इस घटना के संबंध में विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है जिससे प्रकरण के तथ्यों एवं साक्षियों की विश्वसनीयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस सूझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उनके सामने पुलिस ने अभियुक्त से कोई बैल जप्त नहीं किये थे अथवा उन्होंने असत्य प्रकरण बनवाया है।

13— अटल वाजपेयी (अ.सा.6) का यह भी कथन है कि उपस्थित अभियुक्त टेम्पो क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 में 2 बैलों को क्रूरतापूर्वक मुँह व पैर बांधकर परिवहन कर रहा था और उनके पूछने पर उसने बैलों को महाराष्ट्र राज्य में वध के लिये ले जाना बताया था तब वे लोग अभियुक्त, बैलो और टेम्पो को लेकर थाना ठीकरी गये जहां सुरेन्द्र वर्मा ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि बॉम्बे जाने के लिये सेंधवा की ओर जाना पड़ता है तथा आगरा जाने के लिये इंदौर तरफ जाना पड़ता है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह बजरंग दल का तहसील संयोजक था और मीटिंग में उन्हें बताया जाता है कि ग्राम सुन्देल से महाराष्ट्र पशु वध के लिये ले जाते हैं, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें यह बताया जाता है कि पशु कहीं भी क्रूरतापूर्वक भरकर जाते हैं तो उन्हें रोकने और पुलिस को सूचना देना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। साक्षी ने इस सूझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसे यह बताया था कि 2 बैल कृषि हेतु रमेश पिता भीकाजी के यहां कृषि हेतु ले जा रहा है अथवा बैल खरीदने की रसीद बताई थी। साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि उक्त रसीदें उन्होंने फाड़ दी थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि बैलों को चोटें लगी थी और खून निकल रहा था। साक्षी ने इस

सूझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनवाया है।

14 डॉ.एस.के. दांगोडे (अ.सा.3) का कथन है कि दिनांक 02.08.2014 को वह पशु चिकित्सालय ठीकरी में पशु चिकित्सक के पद पर पदस्थ था तथा थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 167 / 2014 में जप्त 2 बैलों का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर उसने बैलों को वृंदावन गौशाला भगवानपुरा पहुंचा कर स्वास्थ्य परीक्षण किया था, जिनमें से एक बैल की आयु लगभग 8 वर्ष तथा दूसरे बैल की आयु लगभग 9 थी तथा उक्त उक्त बैल कृषि कार्य हेतु उपयुक्त थे। साक्षी ने दोनों बैलों के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट होना नहीं बताया तथा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से गये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि किसी पशु को रस्सी कस कर ज्यादा देर तक बांधकर रखा जाता है तो निशान बन जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि बैलों को 60 से 70 किलो मीटर की दूरी पर पैदल चलाया जाता है तो उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है।

15— आर.एस.गणावा (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 01.08.2014 को फरियादी सुरेन्द्र पिता जगदीश वर्मा तथा प्रवीण, निलेश एवं अटल टेम्पो क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 जिसमें 2 नग सफेद रंग के बैल भरे थे तथा अभियुक्त को साथ लेकर पुलिस थाना ठीकरी पर लेकर उपस्थित हुए थे तथा फरियादी ने अभियुक्त द्वारा उक्त बैलों के मुँह और पैर बांधकर उनको कूरतापूर्वक महाराष्ट्र वध के लिये परिवहन किये जाने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखायी थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने थाने पर अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद रंग का टेम्पो क्रमांक एम.पी. 19 एल. 0207 जिसमें दो सफेद रंग के बैल भरे हुए थे तथा अभियुक्त का ड्रायविंग लायसेंस एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन को जप्त कर प्रदर्श पी 2 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, उसने जप्त बैलों को मेडिकल परीक्षण पशु चिकित्सालय ठीकरी से करवाया था जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अभियोग पत्र के साथ संलग्न है। उसने बैलों को अस्थाई सुपुर्दगी पर वृंदावन गौशाला भगवानपुरा के सुपुर्द किया था तभी जप्त टेम्पो व बैलों को राजसात करने के लिये पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम यसे कलेक्टर बड़वानी को प्रदर्श पी 6 का पत्र भेजा था, जहां से प्रदर्श पी 7 काय पत्र प्राप्त हुआ था।

16— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि गुरुवार के दिन ग्राम सुन्देल में बैलों का बाजार लगता है जहां अच्छी किस्म के पशु खरीदे एवं बेचे जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 के जप्ती पंचनाम में बैलों को चोट होने तथा उनके मुँह और पैर रस्सीयों से बंधे होने के संबंध में उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि सभी साक्षी आपस में मित्र होकर थाने पर वाहन लेकर आये थे, लेकिन साक्षी ने इस सूझाव से इंकार किया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य विवेचना की अथवा असत्य कथन कर रहा है।

17 अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी बैलों का परिवहन उनका वध करने के आशय से नहीं कर रहा था बल्कि अपने परिचित रमेश पिता भीकाजी के बैलों को सुन्देल बाजार से खरीदकर कृषि कार्य करने के लिये जा रहा था तथा आरोपी ग्राम धनोरा का निवासी है जो बैलों का परिवहन अपने ग्राम धनोरा की ओर कर रहा था तथा उक्त बैला कृषि कार्य के लिये उपयुक्त थे जिन्हें कृषि करने के लिये खरीदा गया था तथा रमेश को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 21.08. 2014 के अनुसार उक्त बैल सुपुर्दगी पर भी प्रदान किये गये हैं।

18— यह सही है कि अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त द्वारा उक्त बैलों का परिवहन

महाराष्ट्र की ओर वध करने के आशय से किया जा रहा था। सुरेन्द्र वर्मा (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण में यह परीक्षण किया है कि अभियुक्त बैलों को लेकर उसके ग्राम धनोरा जा रहा था तथा अभियुक्त के पूछने पर उसने बताया कि वह बैलों को पहले राजपुर छोड़ता है, उसके पश्चात बैल महाराष्ट्र काटने के लिये जाते हैं, लेकिन अभियुक्त की यह स्वीकारोक्ति नहीं है कि उसके द्वारा बैलो का परिवहन काटने या उनका वध करने के आशय से किया जा रहा था। प्रवीण पाटीदार (अ.सा.3), निलेश राठौड़ (अ.सा.1) तथा अटल (अ.सा.6) ने स्वयं को सामाजिक संगठनों का कार्यकर्ता होना स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उनकी बैठकों में पशु परिवहन को रोकने के संबंध में उन्हें बताया जाता है तथा उक्त सभी साक्षीगण सुरेन्द्र वर्मा (अ.सा.2) के मित्र हैं तथा अभियोजन में हितबद्ध प्रतीत होते हैं तथा उनके द्वारा घटना के संबंध में बढ़ा-चढ़ाकर कथन किये गये हैं। किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा महाराष्ट्र राज्य के किस स्थान पर बैलों को काटने के लिये ले जाना बताया गया, ऐसी स्थिति में यद्यपि आरोपी द्वारा बैलों का परिवहन किया जाना प्रमाणित होता है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त बैलों का परिवहन आरोपी द्वारा वध करने के आशय से अंतर्राज्यीय किया जा रहा था। चूंकि डॉ. एस. के. दांगोडे (अ.सा.3) ने उक्त बैलों के शरीर पर कोई भी बाहरी चोट नहीं होना बताया है, ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा उक्त बैलों का परिवहन क्रूरता पूर्वक किया जा रहा था।

19— इस प्रकार अभियोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860 की धारा-11 (1) (डी), म.प्र. कृषि पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 6/11 एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 का अपराध आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित होने से सफल नहीं रहा। अतः यह न्यायालय आरोपी मयाराम पिता शोभाराम को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1860 की धारा-11 (1) (डी), म.प्र. कृषि पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 6/11 एवं म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6/9 के अपराधों से दोषमुक्त घोषित करता है।

20— जहां तक मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 के अपराध का प्रश्न है वहां उक्त टेम्पो कमांक एम.पी. 19 एल/0207 अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर चलाया जाना प्रमाणित हुआ है तथा आर एस. गणावा (अ.सा.5) का स्पष्ट कथन है कि आरोपी के पास से वाहन के बीमा का कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ था तथा प्रकरण चलने के दौरान भी अभियुक्त की ओर से उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने उक्त टेम्पो कमांक एम.पी. 19 एल/0207 को लोक मार्ग पर बिना बीमा कराये चलाया जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 का अपराध है। अतः यह न्यायालय आरोपी मयाराम पिता शोभाराम को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 के अपराध में दोषी ठहराता है।

21— प्रकरण की परिस्थिति और समाज में बढ़ रहे मोटरयान अधिनियम के अपराधों को देखते हुए आरोपी को परीविक्षा का लाभ उचित प्रतीत नहीं होता है। सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वंदनाराज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

पुनश्च:

22— सजा के प्रश्न पर आरोपी और उने विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि आरोपी गरीब कृषक है तथा विचारण का शीघ्रता से सामना किया। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। यह सही है कि आरोपी ने विचारण का शीघ्रता से

सामना किया है ऐसी स्थिति में आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित करना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यह न्यायालय आरोपी मयाराम पिता शोभाराम धनगर, उम्र 32 वर्ष निवासी धनोरा को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए रुपये 200/— अर्थदण्ड से दंडित करता है, अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अभियुक्त 7 दिन का सादा कारावास भुगताया जाए

23— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

24— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति दो बैल एवं टेम्पो क्रमांक एम.पी.19 एल/0207 के संबंध में राजसात की कार्यवाही कलेक्टर बड़वानी द्वारा की जा रही है। अतः उक्त जप्त सम्पत्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.